भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

बिहार में भूजल संदूषण

738. डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार के किशनगंज क्षेत्र में खनन गतिविधियों के कारण कथित रूप से हुए भूजल संदूषण से अवगत है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस भूजल संदूषण के प्रभाव का आकलन करने और इसके उपशमन हेतु सरकार द्वारा क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं;

(ग) संदूषित जल के कारण स्थानीय आबादी हेतु चिन्हित किए गए संभावित स्वास्थ्य जोखिमों का ब्यौरा क्या है और इन जोखिमों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों में कृषि और कृषि कर्म पर संदूषण का कितना प्रभाव पड़ा है और स्थानीय किसानों की सहायता हेतु क्या उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर किशनगंज, बिहार सहित पूरे देश के भूमि जल गुणवत्ता आंकडे तैयार किए गए है। बिहार के भूजल गुणवत्ता के आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि राज्य में भूजल सामान्यतः पीने योग्य है। तथापि, वर्ष 2024 के दौरान किए गए विश्लेषण में किशनगंज क्षेत्र के कुछ छिट-पुट क्षेत्रों में पेयजल उपयोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक नाइट्रेट, लौह, मैंगनीज आदि सहित कुछ संदूषकों की स्थानीय उपस्थिति की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख): जल राज्य का विषय है और भूजल संदूषण को कम करने और नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पहल करने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बिहार राज्य

सहित पूरे देश में इन मुद्दों का समाधान करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं: -

i. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार किए गए भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़ों को वार्षिक रिपोर्टों, अर्धवार्षिक बुलेटिनों और पाक्षिक चेतावनियों के माध्यम से नियमित रूप से प्रसारित किया जाता है ताकि हितधारकों द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा सके।

ii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा मॉनिटरिंग दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से भूजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के लिए एक नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अपनाई गई है जिसमें भूजल गुणवत्ता का अधिक व्यापक आकलन सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नमूने संग्रहीत करने की तीव्रता और सघनता में वृद्धि का प्रावधान है।

iii. सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत्त मैपिंग कार्यक्रम (नैक्यूम) के अंतर्गत जलभृत्त अध्ययन करते समय भूजल में विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के प्रत्येक पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

iv. भूजल प्रदूषण का उद्गम सतही जल स्रोतों के संदूषण से भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए देश में सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, बहिस्त्राव शोधन संयंत्रों और सीवेज नेटवर्कों की बेहतर प्रणाली आदि जैसे विभिन्न प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत, सरकार द्वारा गंगा और इसकी सहायक नदियों, जो बिहार के क्षेत्र को भी कवर करती हैं, की जल गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

v. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) के सहयोग से जल में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए जल (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सीपीसीबी ने एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रवर्तन के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित बहिस्त्रावों के निस्सरण हेतु उद्योग विशिष्ट मानक और सामान्य मानक विकसित कर स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग): अनुमत्य मानकों से अधिक संदूषकों वाले भूजल के दीर्घकालिक उपभोग से आर्सेनिकोसिस, फ्लोरोसिस, फेफड़ों, गुर्दों के रोग और कुछ प्रकार के कैंसर जैसे स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल

प्रभाव पड़ते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर प्रदूषण मुक्त नल का पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बिहार सहित राज्य स्तर पर जल गुणवत्ता पहलुओं पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

- जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद से ही जल सुरक्षा इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही है। जेजेएम के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को नल जल सेवा वितरण की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित रिहाइशों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।
- "पेयजल गुणवत्ता मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण फ्रेमवर्क" तैयार किया गया था और अक्टूबर 2021 में इसे राज्यों को प्रसारित किया गया था।
- उपर्युक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए देश में लगभग 2180 जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं जिनमें से 123 प्रयोगशालाएं बिहार में स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं को चिह्नित किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे नियमित आधार पर जल गुणवत्ता का परीक्षण करें और जहां कहीं आवश्यक हो, उपचारी कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घरों को निर्धारित गुणवत्ता का जल आपूर्ति किया जाए।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंतरिम उपाय के रूप में, विशेषकर गुणवत्ता प्रभावित रिहाइशों में प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की भी सलाह दी गई है।
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बिहार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, भूजल संदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जिले के सभी 1769 वार्डों में उपयुक्त डब्ल्यूटीपी/आईआरपी (जल शोधन संयंत्र/लौह तत्व शमन संयंत्र) के साथ 2325 जल आपूर्ति योजनाएं स्थापित की गई हैं। इन जल

आपूर्ति योजनाओं के माध्यम से जिले के सभी घरों में नल से जल कनेक्शन देकर शुद्ध पेयजल प्रदान किया जा रहा है।

(घ): सरकार द्वारा कृत्रिम पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के व्यापक निर्माण और पारंपरिक एवं मौजूदा जल निकायों के पुनरुद्धार करते हुए किशनगंज, बिहार सहित देश भर में कृषि और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त गुणवत्ता का जल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, देश में अनेक स्कीमें और कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से उनके प्रभाव क्षमता में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 से बिहार सहित पूरे देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। बिहार सरकार द्वारा उनकी ओर से इन्हीं उद्देश्यों के साथ जल जीवन हरियाली योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए, बिहार सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी स्कीम के तहत देश में सतही जल आधारित वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

*****